

अधिसूचना

अधिसूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के एक्ट 1968 की धारा 19(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ की मांग के दृष्टिगत मार्च, 2017 से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पारिश्रमिक के भुगतान की दर को मैट्रिक परीक्षा के लिये रूपये 7.50 से रूपये 7.75 प्रति उत्तर पुस्तिका, जमा दो परीक्षा के लिये रूपये 9.00 से रूपये 9.50 प्रति उत्तर पुस्तिका तथा चैकिंग सहायक के लिये रूपये 0.90 से रूपये 1.00 प्रति उत्तर पुस्तिका बढ़ाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।



डा0 (मेजर) विशाल शर्मा, हि0 प्र0 से0
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

- 1 प्रधान सचिव (शिक्षा), हि0 प्र0 सरकार।
- 2 निदेशक उच्चतर शिक्षा, हि0 प्र0 सरकार।
- 3 निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हि0 प्र0 सरकार।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव (अध्यक्ष/सचिव)।
- 5 अतिरिक्त सचिव/समस्त उप सचिव/सहायक सचिव हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड।
- 6 समस्त अनुभाग अधिकारी/जिला प्रबन्धक, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड।
- 7 उप नियन्त्रक वित्त एवं लेखा/लेखा परीक्षा, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड।
- 8 अनुभाग अधिकारी सामान्य शाखा को इस आशय से प्रेषित है कि वह उक्त अधिसूचना की बोर्ड की आगामी बैठक में माननीय बोर्ड के समक्ष सस्तुति के लिये प्रस्तुत करें।
- 9 अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर सैल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को बोर्ड की बैवसाईट पर Upload करें।



सचिव